न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण :GCMS No 2022/15
दायरा तिथि : 13.01.2022
आदेश तिथि : 27-6-2022

प्रार्थीगण :–

1. गीतादेवी पुत्री नगारामजी जाति मेघवाल
2. छगनलाल पुत्र नगारामजी
3. पवनीदेवी पुत्री नगारामजी
4. लाली पत्नि भूरारामजी
5. शिवलाल पुत्र नगारामजी
6. हंजाबाई पत्नि नगारामजी तमाम जातिगण मेघवाल
   निवासीगण लुणावा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. जमनाबाई पत्नि भबूतमल जाति लुहार
   निवासी लुहारो का वास लुणावा तहसील बाली
3. लालीबाई पत्नि सुजाराम जाति कुम्हार
   निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 27-6-2022

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का, लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2015 रकबा 0.94 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से निजी खातेदार जमनाबाई पत्नि भबुतमल जाति लुहार की खातेदारी भूमि लुणावा के खसरा नंबर 2034/1 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम लुणावा के खसरा नंबर 2033 रकबा 0.37 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, सेवाडी ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/378 दिनांक 14.02.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1.यह हैं कि ग्राम लुणावा के खसरा नंबर 2015 रकबा 0.94 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी श्रीमति गीतादेवी पुत्री नगाराम वगैरा जाति मेगवंशी के नाम से संयुक्त खातेदारी की दर्ज हैं। खातेदार की धारित संयुक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त वर्तमान में खसरा नंबर 2024 रकबा 2.21 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला जो मौके पर रास्ते जैसा ही हैं तथा उसी से आवागमन किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा खसरा नंबर 2035/2413 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नंबर 2035 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल अन्य विकल्प है। प्रार्थी के द्वारा आवेदित खसरो से अधिक सुगम रहेगा।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	2034	0.08 हैक्टर	बा.प्र.	4X14=56 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
2	2034/1	0.22 हैक्टर	बा.प्र.	4X25=100 वर्गमीटर	जमनाबाई पत्नि भबूतमल लुहार
3	2033	0.37 हैक्टर	बा.प्र.	4X40=160 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक

वैकल्पिक रास्ता के रूप में प्रभावित क्षैत्रफल

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	2035/2413	0.20 हैक्टर	बा.अ.	4X24=96 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
2	2035	0.31 हैक्टर	बा.अ. .	4X62=248 वर्गमीटर	लालीबाई पत्नि सुजाराम कुम्हार

पेज लगातार............02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण :GCMS No 2022/15
अनवान गीतादेवी वगैरा बनाम सरकार वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम लुणावा की डी.एल.सी. दर 177660/–रूपये प्रति हैक्टर है।
4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में एक ओर तारबन्दी की हुई है। अन्य कोई किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई क्षति होगी।

प्रकरण में वर्णित अप्रार्थी जमनाबाई पत्नि भबूतमल लुहार बावजुद नोटिस तामील के वकालतन/असालन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट वैकल्पिक मार्ग सुगम होना वर्णित करने से वैकल्पिक मार्ग के प्रभावित खातेदार लालीबाई पत्नि सुजाराम कुम्हार निवासी लुणावा को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी लालीबाई ने दिनांक 20.04.2022 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार, बाली द्वारा जहां से वैकल्पिक रास्ता बताया गया है, वहाँ खसरा नंबर 2035 से 20 फीट गहरी खाई (नाला) है, जो रास्ता दुर्गम है। आपत्ति प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रार्थी श्री नारायणसिंह सेसली को उपलब्ध कराये जाने पर उनके द्वारा भी प्रस्तुत आपत्ति से सहमति व्यक्त करते हुये आवेदन रूट से ही रास्ता दिलाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि तहसीलदार, बाली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे जो वैकल्पिक मार्ग बताया है, उस रूट में खसरा नंबर 2035 के खातेदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 20 फुट गहरी खाई है, जिस रास्ते से ट्रैक्टर ईत्यादि नहीं आ जा सकते है, इस तथ्य को प्रार्थी पक्ष व उनके अधिवक्ता भी स्वीकार करते है, जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट में वर्णित वैकल्पिक रूट का रास्ता फिजीबल नही है। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा आवेदित रूट से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–8) के परिपत्र क्रमॉकः प. 3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम लुणावा पटवार हल्का, लुणावा तहसील बाली में प्रार्थीगण द्वारा धारित भूमि खसरा नंबर 2015 रकबा 0.94 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी जमनाबाई पत्नि भबूतमल लुहार की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा के खसरा नंबर 2034/1 मेसे 100 वर्गमीटर एवं राजकीय सिवायक भूमि खसरा नंबर 2034 व 2033 मेंसे 216 वर्गमीटर तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांकः 2022/378 दिनांक 14.02.2022 के संलग्न मौका नक्शा में वर्णित ट्रैक सें **100 वर्गमीटर निजी खातेदारी भूमि से एवं 216 वर्गमीटर राजकीय भूमि मेंसे** तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नया मार्ग रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत निजी खातेदारो एवं राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 177660/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2034	0.08 हैक्टर	4X14=56 वर्गमीटर	17.77	995X2=1990	राजकीय सिवाय चक भूमि
2034/1	0.22 हैक्टर	4X25=100 वर्गमीटर	17.77	1777X2=3554	जमनाबाई पत्नि भबूतमल लुहार
2033	0.37 हैक्टर	4X40=160 वर्गमीटर	17.77	2843X2=5686	राजकीय सिवाय चक

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **3554/– (अक्षरे तीन हजार पांच सौ चौपन रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थी को अदा की जायेगी। एवं **7676/–(अक्षरे सांत हजार छः सौ सिहत्तर रूपये मात्र) सिवायचक की राजकोष में जमा कराई** जावेगी। अप्रार्थी द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

पेज लगातार...03

Scanned with CamScanner

File No. ______

//03//

राजस्व विविध प्रकरण :GCMS No 2022/15

अनवान गीतादेवी वगैरा बनाम सरकार वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/2220-24 दिनांक 28-06-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी
3. पटवारी हल्का, लुणावा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक गीतादेवी पुत्री नगारामजी जाति मेघवाल निवासी लुणावा वगैरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner